

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1841] No. 1841] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 22, 2018/ज्येष्ठ 01, 1940

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 22, 2018/JYAISHTHA 01, 1940

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मई, 2018

का.आ..2036(अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 (1978 का 37) की धारा 6 की उपधारा (7) के साथ पठित धारा 5 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति सी. के. प्रसाद के भारतीय प्रेस परिषद् के अध्यक्ष के रूप में पुनः नामनिर्देशन को अधिसूचित करती है।

[फा. सं. एम-22011/8/2017-प्रेस]

के. संजय मूर्ति, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd May, 2018

S.O. 2036(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 5 read with sub-Section (7) of Section 6 of the Press Council Act, 1978 (37 of 1978), the Central Government hereby notifies the re-nomination of Justice C.K. Prasad, retired Judge of the Supreme Court of India, as the Chairman of the Press Council of India.

[F. No. M-22011/8/2017-Press]

K. SANJAY MURTHY, Jt. Secy.

2828 GI/2018